समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

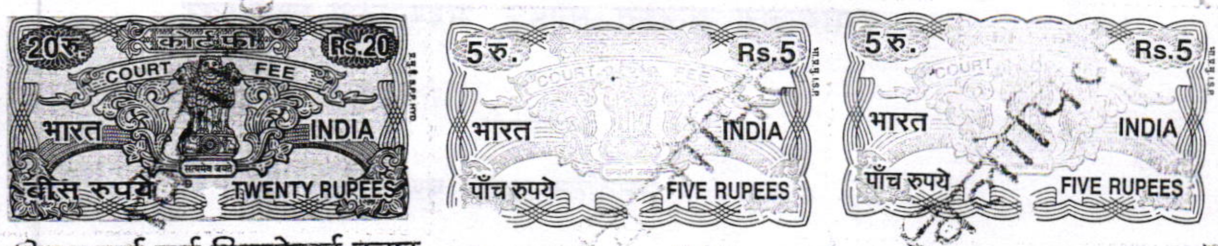

श्रीमति तिजिया बाई उर्फ तिज्जोबाई कहार PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा/2018/1851
पत्नि श्री नानूराम कहार पुत्री स्व श्री रेतु कहार
निवासी बुधनी घाट बुधनी तह. बुधनी जिला सीहोर...पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

श्री ... सिंह ... द्वारा आज दि. 15-3-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 4-4-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 15-3-18

1. संतराम आ. छन्नूलाल
2. बसंत आ. छन्नूलाल
3. बदामी आ. छन्नूलाल
4. बलराम आ. छन्नूलाल
5. शिवप्रसाद आ. छन्नूलाल
6. शेषकुमार आ. छन्नूलाल

सभी निवासी ग्राम सुआखेड़ी तह. बाबई जिला होशंगाबाद

7. श्रीमति दुलारीबाई पुत्री स्व. रेतु कहार

पत्नि रतनलाल कहार निवासी न्यास कालोनी
इटारसी तह. इटारसी जिला होशंगाबाद

8. छन्नूलाल कहार आ. स्व. रेतु कहार

निवासी ग्राम सुआखेड़ी तह. बाबई जिला होशंगाबाद...उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. स.

न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद के अपील प्रकरण क्रमांक 38/अपील/2017-18 पक्षकार संतराम बगैरह विरूद्ध दुलारी बाई बगैरह में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27.02.2018 के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2018/1851

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-04-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्क पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद के आदेश दिनांक 27-02-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस निष्कर्ष के साथ आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है कि उभय पक्ष अपने पक्ष समर्थन में अंतिम तर्क के दौरान तर्क प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है, इस स्तर पर आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रकरण समाप्त किया जाना उचित नहीं है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिपेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	